न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3630–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–2012 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 187/2009–10/स्वमेव निगरानी.

.....

अनूप पाराशर पुत्र बी.एन. पाराशर
निवासी शिंदे की छावनी
लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन .....अनावेदक

———

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

———

:: आ दे श ::

( पारित दिनांक 11 अप्रैल, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा कलेक्टर को इस आशय का प्रतिवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार वृत 2 ब लश्कर, जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 17/86–87/अ–19/ में दिनांक 26–5–88 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में ग्राम बरौआ नूराबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 266/2 रकबा 4 बिस्वा, सर्वे कमांक 268/10 रकबा 3 बिस्वा, सर्वे कमांक 268/1 रकबा

12 बिस्वा, सर्वे क्रमांक 268/11 रकबा 6 बिस्वा, सर्वे क्रमांक 268/12 रकबा 4 बिस्वा का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया । कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के उपरोक्त आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 187/2009–10/स्वमेव निगरानी दर्ज किया गया । कलेक्टर द्वारा आवश्यक कार्यवाही उपरांत दिनांक 23–7–2012 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर को निर्देशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में शासकीय अभिलेख में तद्नुसार प्रविष्टि की जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मय खसरे की प्रति के साथ 7 दिवस में प्रस्तुत किया जाये । साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि प्रकरण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार वृत 2 लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ को भेजे जाने के लिए आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (स्थापना) की ओर भेजी जावे तथा संबंधित पटवारी के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर को भेजी जावे । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2–11–2010 निरस्त किया जाकर न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए विधिवत निराकरण हेतु कलेक्टर को भेजा गया, परन्तु कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना बंधनकारी है । यह भी कहा गया कि आवेदक के पक्ष में दिनांक 26–5–88 को व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है, और कलेक्टर द्वारा दिनांक 8–9–2010 को लगभग 22 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जो कि अत्यधिक विलंबित है, जबकि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही के लिए 180 दिन की समय–सीमा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है, इस आशय की आपत्ति आवेदक की ओर से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी,

जिस पर कलेक्टर द्वारा विचार नहीं किया गया है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही कभी भी की जा सकती है, जिसके लिए समय–सीमा का बंधन नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 2–11–2010 को आवेदक सहित विजय अग्रवाल, नायब तहसीलदार एवं कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव, पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । उक्त सूचना पत्र के विरूद्ध आवेदक एवं ब्रम्हानंद पाराशर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी एवं रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 24–2–2011 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट अपील नं. 146/2011 में दिनांक 16–3–2011 को आदेश पारित कर रनवीर सिंह (मृत) द्वारा वारिसान विरूद्ध म.प्र. राज्य के न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुए उसके प्रकाश में जानकारी के दिनांक से 180 दिन स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करने का निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक को इस आशय की लिबर्टी देते हुए कि आवेदक कलेक्टर के समक्ष जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करे एवं कलेक्टर द्वारा विधि अनुसार निराकरण किया जाये। कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 16–3–2011 के आदेशिका में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश का उल्लेख किया गया है एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई हेतु प्रकरण में दिनांक 27–4–2011 की तिथि नियत की गई है । दिनांक 8–6–2011 को कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश को प्रकरण में सम्मिलित किया गया है तथा दिनांक 11–6–2012 को प्रकरण में अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 23–7–2012 को आदेश पारित किया गया है । उपरोक्त कार्यवाही एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से परिलक्षित नहीं होता है कि कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के

पालन में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है, जो कि जहां माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, वहीं अवैधानिक कार्यवाही भी है । अतः कलेक्टर का आदेश इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–7–2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में कार्यवाही की जाये तत्पश्चात प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये ।

( स्वदीप सिंह )
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर